/

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०– 10/2017– 1449 /कृ0,पटना, दिनांक 29/3/ ,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बॉरलोग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पुसा, समस्तीपुर में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए कुल 234.00 लाख रूपये (दो करोड़ चौंतीस लाख रूपये) (केन्द्रांश 140.40 लाख रूपये एवं राज्यांश 93.60 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बॉरलोग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पुसा, समस्तीपुर में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए कुल 234.00 लाख रूपये (दो करोड़ चौंतीस लाख रूपये) (केन्द्रांश 140.40 लाख रूपये एवं राज्यांश 93.60 लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बॉरलोग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पुसा, समस्तीपुर में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर बिहार में किसानों के प्रशिक्षण के लिए सुविधा का विकास किया जायेगा। बिहार के किसानों को संरक्षित खेती पर आधारित फसल संधनीकरण की तकनिकियों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। लगभग 3000 किसान प्रति वर्ष संरक्षित खेती पर आधारित स्थायी फसल सधनीकरण की तकनिकियों का प्रशिक्षण पा सकेंगे। छोटे किसानों को मशीनीकरण के लिए कस्टम सेवा सुविधा का विकास किया जायेगा। किसानों को बदलते मौसम के अनुकूल खेती के लिए संरक्षित खेती में प्रशिक्षित किया जायेगा। बॉरलोग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पुसा, समस्तीपुर में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी गई है जिसकी तकनीकी स्वीकृति की राशि 234.00 लाख रूपये (दो करोड़ चौंतीस लाख रूपये) है। उक्त स्थापना का प्राक्कलन **अनुसूची–2** के रूप में संलग्न है। उक्त स्थापना का निर्माण कार्य एवं पर्यवेक्षण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किया जायेगा।

3. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2016–RKVY दिनांक–22.09.2016 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में केन्द्रांश 161.12 करोड़ रू० एवं राज्यांश 107.41 करोड़ रू० कुल 268.53 करोड़ रू० अंतिम उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त अंतिम उद्व्यय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–5161 दिनांक–07.12.2016 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश 115.82 करोड़ रू० एवं राज्यांश 77.21 करोड़ रू० कुल 193.03 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2016–RKVY दिनांक–04.01.2017 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में प्रथम किस्त के रूप में केन्द्रांश मद में 45.055 करोड़ रू० विमुक्त किया गया है साथ ही वर्ष 2014–15 में अवशेष राशि 9.26 करोड़ रूपये को वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्वैधीकृत किया गया है। उक्त विमुक्त के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–70 दिनांक–09.01.2017 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में 32.39 करोड़ रू०

Tripathi

कर्णांकित किया गया है। उक्त कर्णांकन के आलोक में अब तक केन्द्रांश मद में 32.175912 करोड़ रूपये का आवंटनादेश निर्गत किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में अवशेष राशि 9.26 करोड़ रूपये को वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्वैधीकृत किया गया है। यह राशि विभिन्न जिलों में अव्यवहृत अवशेष के रूप में रक्षित है। इस राशि को भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2016–RKVY दिनांक–08.12.2016 एवं 04.01.2017 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) के लिए विमुक्त किया गया है। तदोपरांत कृषि निदेशक, बिहार, पटना के पत्रांक 662 दिनांक 15.02.2017 द्वारा उक्त अवशेष एवं पुनर्वैधीकृत राशि को निदेशक, बामेति के खाता में जमा करने हेतु सभी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को निदेश निर्गत किया गया है। जिलों से राशि जमा कराये जाने के उपरांत योजना के लिए स्वीकृत राज्यांश की राशि की निकासी BTC–42 पर कृषि निदेशक द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी तथा बामेति के पी0एल0ए0 खाता संख्या–278 में अंतरित की जायेगी। निदेशक, बामेति द्वारा जिलों से प्राप्त राशि में से इस योजना के लिए स्वीकृत केन्द्रांश की राशि एवं अनुपातिक राज्यांश की राशि योजना से संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. योजना का बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि का विवरण निम्न प्रकार है :– (राशि लाख रू० मे)

बजट शीर्ष	पुनर्वैधीकृत राशि	स्वीकृत राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
सामान्य वर्ग के लाभुकों के लिए	768.58	116.532
अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों के लिए	148.16	22.464
अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लाभुकों के लिए	9.26	1.404
योग	**926.00**	**140.40**
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
बजट शीर्ष	**उपबंधित राशि**	**स्वीकृत राशि**
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०),विपत्र कोड–P240100109316,पी०एफ० एम०एस० कोड–9145विषय शीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	10350.60	77.688
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007890303, पी०एफ०एम०एस० कोड– 9145 विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	2654.00	14.976
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007960331, पी०एफ० एम०एस० कोड–9145 विषय शीर्ष– 31 06– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	265.40	0.936
योग	**13270.00**	**93.60**
सकल योग	**14196.00**	**234.00**

5. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक–12.01.2016 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

E:\ABHINAV\2016-17\RKVY BISA Rajyadesh 27.02.2017\Rajyadesh RKVY Bisa.docx

6 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति दिनांक–23.02.2017 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–12/2016 के पृ0सं0–28/टि. पर प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–10/2017 के पृ0सं0– 07/टि. पर दिनांक–28.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29.3.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी०पी०एम०– 10/2017 1449 /कृ0, पटना दिनांक 29/3/, 2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी०पी०एम०– 10/2017 1449 /कृ0, पटना दिनांक 29/3/, 2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी०पी०एम०– 10/2017 1449 /कृ0, पटना दिनांक 29/3/, 2017

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/ कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/श्री राज कुमार जाट, प्रभारी एवं वैज्ञानिक, बॉरलोग इन्स्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया, पुसा, समस्तीपुर/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

29.3.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी०पी०एम०– 10/2017 1449 /कृ0, पटना दिनांक 29/3/, 2017

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली–110011/सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.3.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।